पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (राज)
(सीकर–झुंझुनू स्टेट हाईवे, सीकर–332024)
वेबसाईट: www.shekhauni.ac.in ई–मेल: reg.shekhauni@gmail.com दूरभाष नं.: 01572-232411

क्रमांक : 3134 दिनांक : 06-10-2021

समस्त प्राचार्य
सम्बद्ध महाविद्यालय

विषय : स्नातक/स्नातकोत्तर (नियमित/स्वयंपाठी) अंतिम वर्ष की प्रायोगिक/आंतरिक विषयों की परीक्षा–2021 के आयोजन हेतु आवश्यक दिशा–निदेश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत सूचित कर लेख है कि स्नातक/स्नातकोत्तर (नियमित/स्वयंपाठी) अंतिम वर्ष की प्रायोगिक/आंतरिक परीक्षाओं का आयोजन शीघ्र ही प्रारम्भ किया जायेगा। अतः इस सम्बन्ध में निम्नलिखित दिशा–निर्देशों के अनुसार परीक्षाओं के आयोजन की तैयारी सुनिश्चित करें:–

1. विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त परीक्षकों से परीक्षार्थियों द्वारा महाविद्यालय में जमा करवाई गई फाईल/असाईनमेंट के आधार पर ही प्रायोगिक परीक्षा आयोजित करवाई जावे जिसमें परीक्षार्थी की व्यक्तिशः उपस्थित आवश्यक नहीं है। जिन प्रायोगिक विषयों में केवल Presentation, viva-voce Seminar का आयोजन होता है उन विषयों की प्रायोगिक परीक्षाओं का आयोजन ऑनलाइन/ऑफलाइन प्रणाली के माध्यम से सम्बन्धित महाविद्यालय/विभाग द्वारा करवाया जावे। जिन पाठ्यक्रमों में आन्तरिक परीक्षा का आयोजन किया जाना है उन पाठ्यक्रमों में फाईल/असाईनमेन्ट/ऑनलाइन टेस्ट के आधार पर मूल्यांकित किया जावे।

2. बाह्य परीक्षक द्वारा मूल्यांकित की गई फाईल/असाईनमेन्ट को महाविद्यालय में सुरक्षित रखा जाये। विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक होने पर इसे मांगा जा सकता है।

3. विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम की स्कीम में दिये गये कुल पूर्णांकों में से ही परीक्षक द्वारा प्रायोगिक परीक्षाओं के अंक प्रदान किय जावें।

4. प्रायोगिक परीक्षा हेतु बाह्य परीक्षकों की सूचना कॉलेज पैनल पर उपलब्ध होगी, जिसकी गोपनीयता वनाये रखने की जिम्मेदारी सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य की होगी। प्रायोगिक परीक्षा आयोजित करने हेतु बाह्य परीक्षक से उनके पंजीकृत मोबाईल नम्बर पर सम्पर्क कर प्रायोगिक परीक्षा का कार्यक्रम निर्धारित किया जावेगा।

5. यदि किसी परीक्षक का नाम उसके कार्यरत महाविद्यालय में ही प्रायोगिक परीक्षा सम्पन्न करवाने हेतु पैनल में उपलब्ध होता है तो सम्बन्धित महाविद्यालय द्वारा उसे Decline किया जावेगा एवं इसकी सूचना ई–मेल आई.डी. ce.pdsusikar@gmail.com पर भी आवश्यक रूप से भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।

6. परीक्षक के परीक्षा लेने से मना (Declined) करने पर उसकी सूचना कारण सहित कॉलेज पैनल पर उपलब्ध लिंक के द्वारा दी जाये। उक्त सूचना प्राप्त होने पर नवीन परीक्षक की नियुक्त की जा सकेगी। उक्त प्रक्रिया के अतिरिक्त महाविद्यालय स्तर पर की गई बाह्य परीक्षक की अन्य कोई वैकल्पिक व्यवस्था स्वीकार नहीं की जावेगी। उक्त सूचना के गलत पाये जाने पर व परीक्षक से बिना संपर्क किये ही मना (Declined) करने पर महाविद्यालय के विरूद्ध विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी तथा आर्थिक दण्ड भी लगाया जा सकता है।

7. प्राचार्य अपने स्तर पर यह सुनिश्चित करें कि परीक्षार्थियों से प्रायोगिक परीक्षा हेतु किसी भी प्रकार की अवैध वसूली नहीं की जावें। बाह्य परीक्षक या महाविद्यालय द्वारा प्रायोगिक परीक्षा के संबंध में परीक्षार्थियों से किसी भी प्रकार की अवैध वसूली को गम्भीरता से लिया जाकर, नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

8. अनुपस्थित रहने वाले छात्रों के प्रार्थना–पत्र पर प्राचार्य द्वारा प्रायोगिक परीक्षा में अनुपस्थित रहने के कारण का विवरण देते हुये विश्वविद्यालय में संपर्क करने हेतु सूचित किया जावे।

क्र.प्र.उ.

Scanned by CamScanner

9. महाविद्यालय में समस्त परीक्षार्थियों की प्रायोगिक परीक्षा का आयोजन करवाकर अंकों को निर्धारित अवधि में ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड किया जावेगा। महाविद्यालय द्वारा किसी भी नियमित/पूर्व छात्रों के अंकों को मैनुअल/ऑफलाइन हार्डकॉपी पर अंकित कर भेजे जात हैं तो उन्हे विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जावेगा तथा ऐसे परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम अनुपस्थित मानकर घोषित कर दिया जावेगा। विश्वविद्यालय द्वारा इस संदर्भ में ना तो कोई पत्र व्यवहार किया जावेगा और ना ही परीक्षा परिणाम परिवर्तित किया जावेगा। ऐसे किसी भी प्रकरण में होने वाली कार्यवाही हेतु सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य स्वयं जिम्मेदार होंगे।

10. प्रायोगिक परीक्षा हेतु जिन परीक्षार्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा अनुक्रमांक आवंटित नहीं किये गये हैं, ऐसे सभी परीक्षार्थियों के अवार्ड्स परीक्षक पैनल पर सम्बन्धित कक्षा के उपलब्ध लिंक (Additional/New/TRF Student) के माध्यम से दर्ज किये जावेंगे। परीक्षा आवेदन पत्र की जांच के दौरान परीक्षार्थी के अपात्र पाए जाने की स्थिति में उसकी प्रायोगिक परीक्षा निरस्त कर दी जावेगी।

11. परीक्षक द्वारा प्रायोगिक परीक्षा के अवार्ड भरे जाने पर पोर्टल से ही पारिश्रमिक/यात्रा भत्ता के बिलों को जनरेट किया जावेगा तथा महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा पोर्टल पर सत्यापित किये जाने पर परीक्षक द्वारा पारिश्रमिक/यात्रा भत्ता के बिलों का प्रिंट लिया जावेगा। पारिश्रमिक/यात्रा भत्ता के बिलों पर सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य के हस्ताक्षर मय मोहर के परीक्षक को दिया जावेगा, जिन्हें परीक्षक द्वारा कार्यरत महाविद्यालय से सम्बन्धित आई.डी. प्रूफ, आधार कार्ड एवं PAN कार्ड की प्रतिलिपि, पैनल प्रतिलिपि तथा अन्य आवश्यक समस्त दस्तावेजों के साथ एक माह के भीतर विश्वविद्यालय को भुगतान हेतु प्रस्तुत करना होगा।

12. महाविद्यालय के प्राचार्य यह सुनिश्चित करें कि किसी बाह्य परीक्षक के बिल दो बार सत्यापित ना किये जावें। बाह्य परीक्षक के बिल दो बार सत्यापित कर कार्यालय में भेजे जाने पर सम्बन्धित महाविद्यालय से भुगतान की गई बिल की राशि वसूली जावेगी। साथ ही उसके विरूद्व विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

13. परीक्षार्थियों की कुल संख्या 20 से कम होने पर एवं महाविद्यालय में सम्बन्धित विषय संचालित नहीं होने की सूचना विश्वविद्यालय को प्रेषित करें।

14. प्रायोगिक परीक्षा व अवार्ड भरने के सम्बन्ध में किसी प्रकार की तकनीकी कठिनाई आने पर पोर्टल पर उपलब्ध हैल्पलाईन नम्बर 7742505957 पर सम्पर्क करें। समाधान न होने की स्थिति में अविलम्ब विश्वविद्यालय को पूर्ण विवरण सहित ई– मेल आई.डी. ce.pdsusikar@gmail.com व दूरभाष नम्बर **9414666115** सहायक कुल सचिव (गोपनीय) पर सूचित करें एवं प्राप्त दिशा–निर्देशों के अनुसार ही आगामी कार्यवाही की जावे।

15. महाविद्यालय के प्राचार्य किसी भी परिस्थिति में परीक्षक का ऑफलाइन बिल सत्यापित ना करें। इसके अतिरिक्त परीक्षकों के ऑनलाईन जनरेट बिलों में भी किसी प्रकार के हस्तलिखित तौर (Manually) पर परीक्षार्थियों की संख्या/अन्य प्रविष्टियों में संशोधन कर बिलों का सत्यापन ना करें। अन्यथा विश्वविद्यालय नियमानुसार कार्यवाही करने के साथ–साथ आर्थिक दण्ड भी अधिरोपित किया जा सकता है।

16. प्रायोगिक परीक्षायें व प्रायोगिक परीक्षा के अंकों को ऑनलाइन पोर्टल/हार्ड कॉपी में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि तक सम्पन्न/दर्ज नहीं करवाये जाने पर आर्थिक दण्ड का प्रावधान है।

17. कोविड–19 प्रोटोकॉल के तहत परीक्षा केन्द्र, राज्य सरकार (गृहविभाग) द्वारा समय–समय पर जारी एडवाइजरी एवं समस्त दिशा–निर्देशों की पालना यथा मास्क, सेनेटाइजर का उपयोग, सामाजिक दूरी एवं परीक्षा केन्द्र को सेनेटाइज करवाना आदि की पूर्णतः पालना सुनिश्चित करेंगे ताकि संक्रमण की विषमता को नियंत्रित करते हुये परीक्षाओं का सुचारू रूप से संचालन किया जा सके।

(डॉ. अरिन्दम बासु)
परीक्षा नियंत्रक

Scanned by CamScanner